

दिनांक

हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व
अहकाम
हुकूम क
में जा

5.23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 30.5.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

23/6
23

पत्रावली महंगाई राहत कॅम्प ऐप प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत ट्रेडका में पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल डेफर प्राप्त हुए जिसे शाब्दक किये गये। प्रार्थीगण का पत्र पत्र स्वीकार किया जाकर जिनिय हृषिक से लिखा जाकर शाब्दक पत्र किया गया। पत्रावली फॉसल शुमार डेफर नम्बर से कम है।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुक्मीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 56/23 प्रा.पत्र

श्री लीटक लाल शिवाजी गुलावरेवार निवासी-भगतपुरिया तहसील-भांड्य (ता.रा.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री शंकर शिवाजी शिवाजी निवासी-भगतपुरिया तहसील-भांड्य (ता.रा.)
(संबंधित प्रा.पत्र जलमा)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि 1956

दिनांक-23/05/23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भगतपुरिया पटवार हल्का टहुका तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 39 कुल किता 01 रकबा 1-0117 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयता के मध्य आराजी मुतादापिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अपलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैतिकता की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.मू.रा.अधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगतपुरिया पटवार हल्का टहुका तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 39 कुल किता 01 रकबा 1-0117 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु नू-अनिलेख निरीक्षक पीधारा को 600/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में नौके व कब्जे की घमास्थिति को बनाये रखते हुए नुस्तकील चिन्नु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिक्रिया- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर फालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023